उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड़, नैनीताल।

न्यायामूर्ति श्री रमेश चन्द्र खुल्बे

आपराधिक जेल अपील संख्या 08 / 2018

आरक्षितः 05.05.2022

वितरित:07.05.2022

अशोक सिंह कंडारी.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड़

राज्य.....प्रत्यार्थी

अपीलकर्ता के अधिवक्ताः श्री मुकुल डांगी, न्याय मित्र।

राज्य के अधिवक्ता श्री वी0 एस0 राठौर विद्वान ए0जी0ए।

विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

निर्णय–

यह एक भयावह मामला है जहां पीड़िता, जो केवल 9 साल की उम्र की बच्ची है, को अपीलकर्ता के हाथों मानसिक व शाररीरिक अघात पहुचाया गया है। अपीलकर्ता जो कि पीड़िता का सगा मामा है, ने पीड़ीता के साथ बलात्कार व गुदा मैथुन किया है।

2. अपीलार्थी अशोक सिंह कंडारी सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से जेल से यह

अपील विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या –50 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक–12.3.2015 में की है। द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया और निम्नानुसार सजा सुनाई।

दोषसिद्धि की सजा जुर्माना(रूपये में) जुर्माने के भुगतान में चुक पर सजा अर्तगत धारा 376 भारतीय दण्ड सहिता 10 साल का कठोर कारावास,रु 10000 / जुर्माना अर्तगत धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता 10 साल कठोर कारावास रूपये 10000 / जुर्माना अर्तगत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता 2 साल कठोर कारावास, धारा 6 पोक्सो एक्ट 10 साल कठोर कारावास रूपये 1000 / जुर्माना

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2014 को सूचनकर्ता (अभियोजन साक्षी 5) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (Ex ka -8) पुलिस थाना लालकुआं, खिला नैनीताल में कथनों के साथ दर्ज कराई कि दिं–27.04.2014 को समय 2:30 pm(दोपहर) पर अभियुक्त अशोक सिंह कण्डारी जो कि सूचनाकर्ता का सगा भाई है, सूचनाकर्ता के घर आया। उस समय सूचनाकर्ता काम करने घर से बाहर थी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि अभियुक्त सूचनाकर्ता की 11 साल की पुत्री साथ ऊपर लेट कर दुराचार कर रहा था। सूचनाकर्ता के अभियुक्त को हटाने पर वह भाग

गया। पीड़िता ने बताया कि मामा कई दिनों से पीड़िता के साथ दुराचार कर रहा है व पीड़िता को किसी को यह बात बताने से मना किया है। व ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी है। उसकी बेटी का व्यवहार बदल गया है और उसकी बेटी डरी हुई लग रही है। अभियुक्त ने उसकी बेटी P.W-01 के साथ बलात्कार किया और उसने कई दिनों तक उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न भी किया। सूचनाकर्ता का पति टैक्सी चलाता है। जब वह दिनांक– 30.04.2014 की शाम को अपने घर से लौटा तब परामर्श करने के बाद सूचनाकर्ता ने थाने में संपर्क किया और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रार्थना की।

4. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर 39/2014 अंतर्गत धारा 376,506 आईपीसी और धारा पॉक्सो एक्ट के रूप में अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया विवेचना उपरोक्त अभियुक्त क विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप कर Ex ka -18 अंतर्गत धारा शोषित किया गया अशोक सिंह कण्डारी के खिलाफ यौन अपराध से बच्चे अधिनियम संक्षिप्तता के लिए पॉक्सो अधिनियम के रूप में संदर्भित और जांच पूरी करने के बाद पुलिस न आरोपी अशोक सिंह कण्डारी के आरोप पत्र पूर्व के,8 किया है। आईपीसी की धारा 376ए,506 और अधिनियम की धारा 3,4,5, (L) (M) (N) पॉस्को एक्ट

5. आरापी अशोक सिह कण्डारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 506 के साथ–साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और परीक्षण के लिए दावा किया।

6. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षियों का परीक्षण किया। पीड़िता P.W-02 के रूप में हरीश चंद्र जोशी हेड मास्टर डॉ0 सुशीला तिवारी जूनियर हाई स्कूल लालकुआं P.W-03 के रूप में डॉ0 मंजु रावत महिला अस्पताल हलद्वानी P.W-04 के रूप में डॉ0 एलएम राखोलिया P.W-05 के रूप में पीड़िता की मां राजेन्द्र प्रसाद उप्रेति P.W-06 के रूप में प्राथमिकी के0 मुंशी के रूप में मुन्शी के रूप में कॉस्टेबल नीरज सिंघल सब.इंस्पेक्टर राजीव उप्रेती प्रथम जांच अधिकारी और एसआई सुमन पंत द्वितीय आईओ P.W-09 के रूप में।

7. अभियोजन साक्ष्य के पूरा होने के बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता अशोक सिंह कण्डारी का बयान अंर्तगत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किया गया था जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के आरोपो से इंकार किया और मुख्य रूप कहा कि दुश्मनी के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फसाया गया है। पीड़िता के पिता को चालीस हजार का भुगतान करना है। जो अभियुक्त के पिता से लिये थे। और लिये भुगतान की देनदारी से बचने के लिए आरोपी के झूठा फंसाने लिए मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई।

8. दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट न अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और फैसले के पैराग्राफ न0 1 में उल्लिखित सजा सुनाई।

9. विद्वान न्याय मित्र द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यौन अपराध के संबंध में कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विशलेषण नहीं किया ओर अपीलकर्ता दोषी ठहराए जाने

के लिए उत्तरदायी है।

10. इसके उत्तर में रज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजिका अवयस्क थी, उसने अभियोजन कहानी का समर्थन किया आक्षेपित निष्कर्ष में कोई नहीं है। और तदनुसार अपील खारिज करने योग्य है।

11. मैंने दोनो पक्ष की ओर से दिए गए निवेदनों को सुना है और विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सभी साक्ष्यों को भी देखा है।

12. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पूरी तरह साबित करने के लिए पीड़िता का परीक्षित किया विचारण न्यायालय के समक्ष P.W-06 के रूप में पेश हुई। घटना के वक्त वह महज नौ साल की बच्ची थी। पीड़िता के बयान देने में सक्षम पाये जाने के बाद न्यायालय पीड़िता के बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से आरोपी की पहचान अपने मामा के रूप में की। उसका बयान अगस्त 2014 के महीने मे दर्ज किया गया था और पीड़िता ने अदालत के समक्ष कहा था कि आरोपी जनवरी 2013 से उसका पीछा कर रहा था और इस अवधि के दौरान अभियुक्त ने उसके खिलाफ अनावश्यक गतिविधियों को अंजाम दिया। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कि हालांकि उसकी मां कमरे के अन्दर आई और उसकी मां द्वारा शोर मचाने पर और थप्पड़ मारने पर आरोपी उसकी मां को धक्का देकर मौके से भाग गया। अपराध करने के तरीके के बारे में और पूछताछ करने पर पीड़िता ने कथन किया कि अपराध करने के पहले के पहले के अवसरों पर आरोपी उसके साथ बलात्कार करता था और उसके साथ दुराचार भी करता था। उसने अपनी जन्मतिथि 05.03.2005 बताई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पीड़िता से प्रतिपरीक्षा की गई परन्तु पीड़िता द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों पर कोई संदेह पैदा हो

13. P.W-02 अभियुक्त सा0 हरीश चन्द्र जोशी उस विद्यालय का प्रधानाचार्य है जहां पीड़िता ने कक्षा 02 उत्तीर्ण की थी। जिनके द्वारा कथन किए गए है कि पीड़िता को स्कूल में भर्ती कराते समय उसके माता पिता ने उसकी जन्म तिथि 05.03.2005 दर्ज करायी थी। उनके द्वारा पीड़िता के जन्म तिथि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की तिथि का प्रमाणित किया है।

14. डॉ मंजु रावत जिन्होंने पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण किया है विचारण न्यायालय के समक्ष P.W-03 के रूप में उपस्थित हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़िता की चिकित्सा जांच में यह पाया गया कि पीड़िता के गुप्तांग पर हल्की खंरोच और लाली थी। उसकी योनी से मामूली स्राव था और ये लक्षण यौन हमले के कारण हो सकते है। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी राय में घटना के समय पीड़िता की आयु 10.11 वर्ष की थी।

15. P.W-04 डॉ0 एलएम राखोलिया एक औपचारिक गवाह है जिन्होंने पीड़िता की जांच की है और पूरक चिकित्सा रिपोर्ट को साबित किया है। पूरक रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की स्लाइड में कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया ।

16. P.W-05 पीड़िता की माता बताई जाती है। उसने आरोपी को अपना भाई बताया है। उसने कथन किया है कि दिनांक 27.04.2014 को दोपहर लगभग 2:30 बजे जब वह घर से बाहर काम कर रही थी तो उसके घर किसी कार्य से वह कंमरे के अन्दर आई तो उसने देखा कि आरोपी ने उसकी पुत्री का गला पकड़ रखा था और उसके गले को दबा रखा था और पीड़िता के सीने को उसने अपने घुटने से दबाया हुआ था। यह देख वह आरोपी पर चिल्लाई कि यह क्या कर रहा है। तो आरोपी घबराकर उसे धक्का देकर कमरे से भाग गया। जब उसने अपनी बेटी से इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसकी बेटी ने बताया कि 2.3 बार पहले भी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था उसे उसकी बेटी द्वारा आगे बताया गया कि आरोपी ने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने यह कहा कि घटना के बाद भी उसकी बेटी डरी हुई है उसने अपने द्वारा दर्ज कराई गई उस रिपोर्ट को साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श 8 के रूप में चिन्हित किया गया था। इस गवाह का साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत होता है।

17. अभियोजन साक्षी राजेन्द्र प्रसाद उप्रेती जो शिकायतकर्ता का पड़ोसी है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 8. scribe है।

18. लिखित रिपोर्ट के आधार पर चिक एफआईआर एक्जीबिट 10 दर्ज किया गया था और तदनुसार जीडी एक्जीबिट 11. तैयार किया गया था जो P.W-07 हेड मोहर्रिर पीएस लालकौं द्वारा सिद्ध किया गया है

19. अभि0 सा0 एसआई राजीव उप्रेती ने पूर्व का 12 के रूप में आरोपी का गिरफ्तारी मैमो साबित किया है।

20. P.W-09 एसआई सुमन पंत इस मामले के जांच अधिकारी है। उनके द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण करने तथा आवश्यक औपचारिकतांए करने के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध Exihibit 18 के रूप में आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

21. आरोपी के बयान अ0 धारा 313 के तहत दर्ज किये गये। जिसमें अभियुक्त ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। अपने बचाव में उन्होंने .शंकर सिंह कंडारी और श्रीमती मोहिनी देवी को प्रस्तुत किया है। मोहिनी देवी व शंकर सिंह कण्डारी ने आरोपी और पीड़िता के माता पिता के बीच कुछ पैसे लेन देन के आधार पर केवल आरोपी को झूठा फसाने का बयान दिया है।

22. जहां तक पीड़िता की आयु का संबंध है संबंधित विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्म तिथि 05.03.2005 है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष में P.W-02 हरीश चन्द्र जोशी को पेश किया जो डॉ0 सुशीला तिवारी जूनियर हाई स्कूल

बिंदुखट्टा लालकुआं में हेड मास्टर है। जिन्होंने कहा कि पीड़ित P.W-01 उनके स्कूल से कक्षा 12 पास की है। और उसके प्रवेश के समय, उसके माता पिता ने पीड़िता की जन्मतिथि 05.03.2005 दर्ज कराई। इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 9 वर्ष थी।

23. उपरोक्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता जो पीड़िता के सगे मामा ने 27.04.2014 की घटना से पहले पीड़िता का 2.3 बार यौन उत्पीड़न किया था। जब उसकी ही बहन ने रंगे हाथ पकड़ लिया आरोपी ने न केवल पीड़िता के साथ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ गुदामैथून भी किया। अदालत के कटघरें में P.W-01 के रूप में पेश हुए पीड़िता द्वारा घटनाओं की पूरी कहानी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसे 2. 3 बार प्रताड़ित किया और जब वह आरोपी के अमानवीय व्यवहार के कारण रोने लगी तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़िता को अपने मोबाइल फोन अश्लील फोटो भी दिखाई। पीड़िता जो महज 9 साल बच्ची थी वह अपीलकर्ता के हाथों इस आघात को झेल चूकी है जो उसके सगे मामा है। यह कथन पीड़िता की मां ने किया है। जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष P.W-05 के रूप में पेश किया गया था। इन दोंनो गवाहों से लंबी जिरह की गई लेकिन ऐसा कुछ भी नही सामने आया जिससे इन गवाहों की गवाही पर कोई संदेह उत्पन हो।

24. इसके अलावा इस मामले में चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कथनों की और पुष्टि करते है। P.W-03 डॉ0 मंजू रावत जिन्होंने पीड़िता की जॉच की न स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता के गुप्तांग पर घर्षण लाली और स्राव स्पष्ट रूप से यौन हमलें के कारण है।

25. इस स्तर पर विद्वान एमिकस क्यूरी ने अभियोजन की कहानी पर संदेह करने का एक कमजोर प्रयास करते हुए तर्क दिया की पीड़िता की पूरक चिकित्सा रिपोर्ट (Ex ka -05)में कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया न्यायालय को इस तर्क में कोई बल नहीं मिला क्योंकि 27.04.2014 को अभियुक्त एक बार फिर से पीड़िता को यौन उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां P.W-05 किसी काम से घर के अंदर और पाया आरोपी उनकी बेटी के ऊपर घुटने रखकर लेट गया। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी ने पीड़िता के नीजि अंगो से लाली और स्राव पाया है। जो स्पष्ट रूप से पीड़िता के खिलाफ आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न किए जान के तथ्य को साबित करता है। जिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़िता का परीक्षण किया है। ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर पाए गए लक्षण यौन हमले के कारण थे। पीड़िता ने अपनी मां को यह भी बताया कि आरोपी ने इससे पहले भी दो तीन बार उसका यौन शोषण किया था। इसके अलावा पीड़िता आरोपी की सगी भतीजी है और सूचनाकर्ता उसकी सगी बहन है तो आरोपी को उसके ही खून के रिश्ते से झूठा फंसाने

का कोई आधार नहीं है।

26. इस स्तर पर गणेश बनाम राज्य (2020)10 **SCC 573** के मामले में एक फैसले पर ध्यान देना आवश्यक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां पीड़ित की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर सजा की अनुमति है।

27. सर्वोच्च न्यायालय ने फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 एससीसी 74 में हाल के एक फैसले में कहा है कि पीड़िता अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब उसका बयान विश्वसनीय पाई गई और उसका साक्ष्य उत्तम गुणवक्ता का है। आग यह भी कहा गया कि एक सामान्य नियम के रूप में यदि विश्वसनीय है तो एकमात्र गवाही को केवल अनुमानों के आधार पर न्यायालय द्वारा संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

28. इसके अलावा यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय ऐसे मामलों को अत्याधिक संवेदनशीलता के साथ निपटाने के लिए बाध्य है। अभियोजन पक्ष के बयान में मामूली विरोधाभाष या महत्वहीन विसंगतियां अथवा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होना चाहिए। यौन हमले की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है और उसके लिए किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। जब तक की संपुष्टि की मांग के लिए बाध्यकारी कारण न हो। अभियोजिका का बयान एक घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। क्योंकि वह सह अपराधी ही नहीं है।

29. पूर्वोत्क निर्णयों में मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की कसौटी पर पीडब्लू 1 के बयान का मूल्यांकन करने पर न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि पीड़िता पीडब्लू 1 की गवाही बिल्कुल सही है भरोसेमंद और बेदाग और उसका सबूत सटर्लिंग गुणवक्ता का है। इसलिए किसी और पुष्टि के बिना अभियोजन पक्ष की गवाही पर भरोसा करते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।

30. इस प्रकार पिछले प्रस्तरों में बताए गए कारणों से मुझे यह मानने में काई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियुक्त अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया उसके साथ दुराचार किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जो उस समय केवल 9 वर्ष की थी। इसलिए धारा 376,377,506 आईपीसी के साथ–साथ अपराध पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6 के तहत स्पष्ट रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ साबित होते हैं। मैं विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्षों से पूरी तरह समहत हूं और विचारण न्यायालय के सुविचारित और विस्तृत निर्णय में हस्तक्षेप करने का काई उचित आधर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को प्रत्येक गणना के तहत दी गई सजा भी विधि के अनुरूप है।

इसलिए अपील बिना किसी गुण के होन के कारण तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

निर्णय और आदेश चुनौती के तहत इसके द्वारा पुष्टि की जाती हैं। अरोपित पहले से ही जेल में हैं। वह विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाई गई सजा पूरी करेगा।

32. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ संबंधित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए प्रेषित की जाए। अपीलकर्ता को संबंधित जिला जेलर के माध्यम से उसकी अपील के परिणाम के बारें में भी सूचित किया जाएगा।

.....रमेश चंद्र खुल्बे जे0